भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1818

30 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को कोर अनुदान सहायता में कटौती के लिए नीति आयोग की सिफारिश

†1818. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्जः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नीति आयोग ने राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) परिषदों के लिए 'मुख्य अनुदान सहायता' में कटौती की सिफारिश की है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को अब से 'परियोजना आधारित सहायता' शुरू करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का नीति आयोग की सिफारिश पर पुनर्विचार करने और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को उनकी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए उदार निधि जारी रखने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) दिनांक 10.07.2025 को नीति आयोग द्वारा जारी “राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए एक रोडमैप” नामक रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को प्रदत्त सहायता परियोजना आधारित अनुदान होनी चाहिए जो उनकी क्षमताओं और प्रदर्शन पर केंद्रित हो। यह आगे पूर्वोत्तर क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों में छोटी परिषदों को जारी सहायता को छोड़कर, कोर वार्षिक अनुदान को बंद करने की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों के साथ नीति आयोग की क्षेत्रीय परामर्शदात्री बैठकों का परिणाम हैं। रिपोर्ट में राज्यों द्वारा अधिक वित्तीय स्वामित्व के माध्यम से सहायता आधार को व्यापक बनाने तथा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्रदर्शन-आधारित अनुदान और वर्धित लिंकेज सहित परियोजना-आधारित वित्तीय सहायता बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

(ख) से (घ): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को परियोजना आधारित सहायता प्रदान करता रहा है और पिछले पाँच वर्षों में, पेटेंट सूचना केंद्रों की स्थापना, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, जलवायु परिवर्तन केंद्र/प्रकोष्ठ, बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और गणित दिवस का आयोजन आदि जैसे राज्य विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को 187 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं,

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों के दौरान, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को जैव संसाधनों के सतत उपयोग, बायोटेक हब आदि से संबंधित 4 परियोजनाएँ स्वीकृत की हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

भारत सरकार राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाकर राज्य स्तरीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पारितंत्र को निरंतर सहायता और सुदृढ़ करता रहती है।

अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परिषद का नाम	जारी निधियां (लाख रुपये में)					
		वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	कुल
क.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग						
1	आंध्र प्रदेश	5.00	17.00	20.00	-	25.35	67.35
2	अरुणाचल प्रदेश	134.33	18.50	32.00	28.60	65.07	278.50
3	असम	62.46	11.50	30.00	37.20	15.20	156.36
4	बिहार	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
5	छत्तीसगढ	9.30	21.30	39.43	28.00	12.00	110.03
6	गोवा	9.50	16.70	10.32	-	42.48	79.00
7	गुजरात	11.50	29.75	349.29	51.50	15.20	457.24
8	हरियाणा	12.00	12.00	25.04	-	45.49	94.53
9	हिमाचल प्रदेश	21.69	30.15	22.00	9.60	24.00	107.44
10	कर्नाटक	334.98	20.00	171.97	125.10	35.00	687.05
11	केरल	258.38	25.40	22.00	119.25	117.83	542.86
12	मध्य प्रदेश	20.00	20.00	20.00	20.00	213.22	293.22
13	महाराष्ट्र	-	16.00	16.00	16.00	20.00	68.00
14	मणिपुर	25.49	-	12.00	12.00	12.00	61.49
15	मेघालय	6.00	16.70	12.00	20.30	17.39	72.39
16	मिजोरम	172.35	24.75	45.13	12.00	34.69	288.92

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परिषद का नाम	जारी निधियां (लाख रुपये में)					
		वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	कुल
17	नागालैंड	-	-	-	66.28	24.00	90.28
18	पंजाब	311.92	40.39	186.83	72.47	99.69	711.3
19	राजस्थान	11.00	-	-	-	-	11.00
20	सिक्किम	285.65	15.00	243.64	52.72	53.48	650.49
21	तमिलनाडु	106.04	20.00	186.25	-	90.00	402.29
22	तेलंगाना	11.00	365.42	41.62	142.00	54.41	614.45
23	त्रिपुरा	191.87	12.00	-	-	-	203.87
24	उत्तराखंड	21.82	130.92	56.30	21.04	89.46	319.54
25	पश्चिम बंगाल	44.60	42.41	92.68	-	58.52	238.21
उपयोग (क)		**2066.88**	**925.89**	**1654.5**	**854.06**	**1184.48**	**6685.81**
ख. जैव प्रौद्योगिकी विभाग							
1	अरुणाचल प्रदेश	-	-	20.84	-	11.49	32.33
2	मणिपुर	-	-	-	-	10.04	10.04
3	मिजोरम	-	53.73	-	-	29.96	83.69
4	नागालैंड	-	-	11.49	-	-	11.49
उपयोग (ख)		**-**	**53.73**	**32.33**	**-**	**51.49**	**137.55**
योग (क+ख)		**2066.88**	**979.62**	**1686.83**	**854.06**	**1235.97**	**6823.36**

*****